राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 91/2005
डॉ. ओमप्रकाश थाकन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी (परिवार कल्याण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती शिवानी माहेश्वरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 16.11.2004 (अनुलग्नक–4) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स के अनियमित भुगतान की राशि रु. 85581/– की वसुली किये जाने योग्य एवं उक्त राशि जमा कराने के आदेश दिये गये है। यह भी आदेश दिया है कि वर्तमान में भी नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स लिया जा रहा है तो उसे बन्द किया जाये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डी.आई.ओ., एमसीएचओ, आरसीएचओ के पद का मानता आया है। डी.आई.ओ. का पद एमसीएचओ, आरसीएचओ में परिवर्तीत किया गया। उप सीएमएचओ (परिवार कल्याण) को नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स प्रदान किया जा रहा था। अपीलार्थी को भी नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि अपीलार्थी का कार्य उन्हीं के समान है। अपीलार्थी को नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स सही प्रकार से दिया गया था।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स दिये

जाने का कोई आदेश नहीं है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी का पद नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स प्राप्त करने योग्य अधिकार की सूची में सम्मिलित नहीं हैं। ऐसे में अपीलार्थी से सही प्रकार से वसुली की गई है।

3. हमनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के संबंध में नॉन प्रेक्टिस एलाउन्स राशि अदा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 16.11.2004 में कोई अनियमितता नहीं पायी जाती है।
4. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)